"कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक — 593 / 11 —सी — FP/UP/Road/147942/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 30, 2024

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु लि०, आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बॉईपास) पर ईदगाह—बयाना रेल सेक्शन के कि0मी0 73/7-8 पर स्थित सम्पार संख्या—11सी / 2टी पर 04 रेल उपररिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे0 संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीव्यूटरी नहर के मील 11 पर) गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लाट की अनुमित के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/147942/2021)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/06/145/2022/एफ०सी०/276, दिनांक-02.08.2023 महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक—664 / 14—1 दिनांक 28.08.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

> भवदीय (प्रमोद कुर्मीर गुप्ता) मुख्य वृन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उ७प्र०, लखनऊ।

संख्या<u> 593</u> / 11-सी FP/UP/Road/147942/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

अवर अभियन्ता (सि०) उ०प्र० राज्य सेत निगम लि०, आगरा।

मुख्य वन्न सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र0, लखनऊ।

संख्या-593/11-सी FP/UP/Road/147942/2021, दिनांकित। प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (प्रमोद कुमार गुप्ता) मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, ∏_Nज्øप्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

/ 14—1(147942 / 2021) ,आगरा, दिनांक, २००३ अगस्त, 2024

सेवा मं.

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः :--

जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० अगरा में एन०एच०—2 से एन०एच०—3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदागाह—बयाना ऐल सेक्शन के किमी० 73/7—3 पर स्थित सम्पार संख्या—11सी/2टी पर 04 लेन ऐल उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे० संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के मील 11 पर) के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रांशप्लान्ट की अनुमित के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :--

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० लखनऊ का प्रभांक—8बी0 / रू०पी० / ०६ / १४५ / २०२२ / एफ.सी. / २७३ दि० ०२.०८.२०२३ एवं आपके कार्यालय का प्रभांक 11—सी—325 / 147942 / 2021 दिनांक ०४.०८.२०२३

महोद्य,

जपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति संशर्त प्रदान की गई है। प्रस्ताव के शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों, प्रमाण पत्र आदि सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 723/14-1 दिनांक 23.08.2024 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत प्रेषित है :--

VIVI :::1	है। हारा इस कायालय का प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्य	ाचम्चवत् प्रावतः हः —
क्र0'स0	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनयहता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.26 ha. Degraded Forest land in Mau Forest Block in Bainpur Range. Social Forestry Division District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mizture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में ब्रितिपूरक वनीकरण की राशि रू0 2074000.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत बालान के माध्यम से दिनाक 13.09.2023 द्वार जमा करा दी यथी है। बालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.06400 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline+s issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रूठ 61298.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माध्यम से विनांक 13.09.2023 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	As per compliance 5 U.P. State Bridge Corporation Ltd. Agra hereby undertakes that the additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of india on receipt of the report from the Expert Committee, will be paid to the State Government by the U.P. State Bridge Corporation Ltd. Agra.

	6.	The Penalty for violation shall be equal to five times NP	V शर्त के अनुपारात्र में दण्डात्मक एन०पी०वी० की
j		of forest land per hectare plus 12 percent simple interes	
. 1		till the deposit is made. Amount towards Penal NPV sha	॥ घालान के माध्यम से दिनांक 13.09.2023 द्वारा
		be deposited in CAMPA fund.	जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री
			की छायाप्रति अपलोड है।
	7,	200	e इस आश्य की व्यनवहुता अपलोड है।
		any works in violation of the FCA. 1980 in future.	
- 1	8.	Control of the contro	हु प्रयोक्ता द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति
		execution of the works without prior approval of Hon'ble	
		Supreme Court.	दिनांक ७३.०३.२०२२ के अनुपालन में २६ वृक्षों का
-		1886 - 10 at 1886 at 1	पातन दिव्या गया है।
- 1	9.	User agency shall restrict the felling of 26 trees/minimum	। इस आरम की वंधनवहता अपलोड है।
		number in the diverted forest land and the trees shall be	
- Carlotte		felled under the strict supervision of the State Fores	
		Department and the cost of felling of trees shall be	
		deposited by the User Agency with the State Forest Department.	
1	10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be	AND
	# 5.X.	ensured by way of prescribed certificate from the	्रांतान है।
		concerned District Collector.	
-	110	No Violation of FCA certificate from concerned DFO	The state of the s
-	* 4.9	shall be provided.	इस आशय की वजनवहता अपलोड है।
-	1:2	The user agency shall provide suitable under/ over pass in	इस आरुय की क्वनवद्वता अपलोड है।
-		Protected Area / Forest Area as per recommendations of	इस आराय का वसनवहता अपलाड है।
		CWLW/ NBWL/ FCA/ REC.	
1	1.;	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per	इस आशय की क्वानबद्धता अपलोड है।
		the provisions of the Environmental (Protection) Act,	इस जाराव या वचनवद्वता जनलाड हो
		1986, if applicable.	The state of the s
].	The layout plan of the proposal shall not be changed	इस आशय की चचनवद्वता अपलोड है।
		without prior approval of Central Government.	40 and an an an ingui discilo di
	15.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की बननबद्धता अपलोड है।
-	16.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be	इस आशय की रुवनवद्वता अपलोड है।
		provided by the User Agency to the labourer after	इस जाराय यम समापद्वता अवलाड है।
		purchasing the same from the State Forest Department or	and and a second a
- Company		the Forest Development Corporation or any other legal	-
	monton con lawren	source of alternate fuel.	
garage con	17.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably	इस आशय की धननबहुता अपलोड है।
and the same of th		demarcated on ground at the project cost, as per the	
-		directions of the concerned Divisional Forest Officer.	
	18.	No additional or new path will be constructed inside the	इस आशय की वधनवद्धता अपलोड है।
		forest area for transportation of constructon materials for	***
		execution of the project work.	
	19.	The period of diversion shall be co-terminus with period	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
		of lease to be granted in favor of user agency or the project	
		life, whichever is less.	
4	20.	The forest land shall not be used for any purpose other	इस आशय की वचनवहता अपलोड है।
	1 1	than that specified in the project proposal.	
2	!1.	The forest land proposed to be diverted shall under no	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
		circumstances be transferred to any other agencies,	
		department or person without prior approval of Govt. of India.	
2	2.	The KML file of the area to be diverted, the Ca area, the	
		proposed SME work, the proposed catchment Area	इस आराय की वचनवद्वता अपलोड है।
		Treatment Area and the WLMP area shell be uploaded on	
		the e-green watch portal with the requisite detail before	
	***************************************	commencement of works	경이 되는 생물이 되었다.
2.	3.		इस आशय की वचनवहता अपलोड है।
		projects for tree cutting and commencement of work as per	रण रुपस्य भव नमानस्या स्नेतवाद्य है।
		clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under	
		intimation to Nodal office and this office. Order of	
		Temporary work permission have to be uploaded on	
		PARIVESH portal as well. Nodal Officer will strictly	
		monitor and ensure that no further activity is carried out	
	1	under such permission after the expiry of one year from	
		the date of issue of such permission.	
		The second secon	

24,	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action wojuld be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018	इस आशय की यचनयद्वता अपलोड है।
2	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
26.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	इस आशय की वश्चनवद्वता अपलीं है।
27,	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	अपलोड है।

प्रकरण में अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉo अनिल कुमार पटेल) वन संस्कृक, आगरा वृत्त, आगरा।

VIX Stire

141 समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्र दिनांक 23.08.2024 के कम्भें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

🗸 प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (सिविल), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, आगरा को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉo अनिल कुमार पटेल) वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।